Order or Proceeding
Order or proceeding with Signature of presiding

परिवादी विद्युत वितरण कंपनी द्वारा उपमहाप्रबंधक की ओर

परिवादी विद्युत वितरण कंपनी द्वारा उपमहाप्रबंधक की ओर से सहायक यंत्री किनिष्ठ यंत्री किनिष्ठ यंत्री किनिष्ठ यंत्री किनिष्ठ यंत्री किनिष्ठ उपार्थ उपार्थ उपार्थ अधिवक्ता श्री अधिवक्ता अधिवक्ता श्री अधिवक्ता स्वति अधिवक्ता श्री अधिवक्ता स्वति स्वति अधिवक्ता स्वति स्वति

आरोपी / गणु सहित / द्वारा अधिक श्री....हिन किर्माहित । उप० / आरोपी अनुपस्थिति।

प्रकरण नेशनल / मेगा लोक अदालत में पेश हुआ है। यह परिवाद विद्युत विभाग द्वारा धारा 135(1)क विद्युत अधिनियम के तहत आरोपीपक्ष के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। इस परिवाद में आरोपी पक्ष पर धारा 135(1)क विद्युत अधिनियम का आरोप लगाया गया है।

उक्त परिवाद मामले में विद्युत विभाग की ओर से उक्त कार्यपालन यंत्री की ओर से सहायक यंत्री / किनष्ठ यंत्री ने अपने अधिवक्ता सिहत धारा 152 विद्युत अधिनियम के तहत आवेदन पेश कर व्यक्त किया है कि इस मामले में विद्युत उर्जा की राशि नेशनल / मेगा लोकअदालत के मान से व समन शुल्क जमा किया जा चुका है। अत्एव लोक अदालत में उक्त प्रकरण समाप्त किया जावे।

सुनाया गया। प्रकरण का अवलोकन किया गया।
विचारोपरांत धारा 152 विद्युत अधिनियम का आवेदन
स्वीकार योग्य होने से उसके आलोक में आरोपी पक्ष को दोषमुक्त
किया गया। आरोपी का अगर जमानती / गिरफ्तारी वारंट जारी
हो तो उसे अदम बापस बुलाने हेतु पत्र अविलंब जारी हो।
प्रकरण में कोई जप्ताशुदा सम्पत्ति नहीं है।
परिणाम पंजी में दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार भेजा जावे।

वीरेन्द्र सिंह राजपूत पीटासीन अधिकारी खेण्डपीट क0–18 एवं विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम

EXERTIFIED.